



Form 1

Maintenance of records Form of Continous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)

(See Rule 4)

Continous Khatian

Anchal- गोविन्दपुर Rev P.S- गोविन्दपुर State of- झारखण्ड Police Station- गोविन्दपुर
R.T.No 170 Khata Type रैयती

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
182	राजेन्द्र भगत वो मनोहर भगत , पिता- वृज विहारी भागत, जाति- . एवं कुवर , पति-सतेन्द्र भगत, जाति- . एवं शोभा कुमारी वो जयवगला कुमारी , पिता- सतेन्द्र भगत, जाति- . एवं राम कुमार वो मदन चन्द वो पनालाल वो सुरेश प्रसाद वो रमेश प्रसाद वो विधा प्रसाद वो रंजीत प्रसाद , पिता-कृष्णा भगत, जाति- . एवं मु. भुदीका कुअर , पिता-कृष्णा किशोर भगत, जाति- . एवं पूर्जा देवी वो रेनुका देवी , पिता-कृष्णा कुमार भगत, जाति- . एवं कृष्णा कुमार भगत , पिता- इन्दाशन भगत, जाति- . एवं रामन्दन भगत , पिता-जगी भगत, जाति- . एवं देवान्द भगत वो राम जीवन भगत वो अजनी कुमार , पिता-भागसुन्दर भगत, जाति- . एवं गीता कुमारी , पिता-मद सुदन भगत, जाति- . एवं लखी देवी , पिता-सेठमल भगत, जाति- जसवाल	1026		0 ऐ	70 डि	0 ऐ	0.1		1 / 183
		1027		0 ऐ	9 डि	0 ऐ			
		1028		0 ऐ	98 डि	0 ऐ			
		1029		0 ऐ	22 डि	0 ऐ			
		1030		0 ऐ	34 डि	0 ऐ			
		1031		0 ऐ	2 डि	0 ऐ			
		1032		0 ऐ	3 डि	0 ऐ			
		1037		0 ऐ	15 डि	0 ऐ			
		1038		0 ऐ	20 डि	0 ऐ			
		1099		0 ऐ	50 डि	0 ऐ			
		1103		0 ऐ	32 डि	0 ऐ			
		1112		0 ऐ	3 डि	0 ऐ			
		1122		0 ऐ	24 डि	0 ऐ			
		1163		0 ऐ	59 डि	0 ऐ			
		1192		1 ऐ	30 डि	0 ऐ			
		176		0 ऐ	15 डि	0 ऐ			

182	AMAN KUMAR , पिता-G P SINGH, जाति- ----	430		0 ऐ	6.43 डि	0 हे	6	नामान्तरण मुकदमा संख्या 10112/2022 - 2023	10 / 24
182	श्रीमती कविता तिवारी , पिता-श्री राम कृति तिवारी , जाति- ----	1192		0 ऐ	6.19 डि	0 हे	4	नामान्तरण मुकदमा संख्या 184/2023 - 2024	10 / 76
182	स्नेहलता सिंह , पिता-राम किशुन सिंह , जाति- ----	1192		0 ऐ	5.78 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 818/2023 - 2024	10 / 84
182	MS HEMANT KUMAR GUPTA HUF SRI HEMANT KUMAR GUPTA , पिता-BANWARI LAL GUPTA, जाति- ----	430		0 ऐ	7.14 डि	0 हे	10	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1776/2023 - 2024	11 / 2

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

8/24/2023

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।